न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00569

1. रामप्रसाद आत्मज मोरपाल जाति नाथ निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनिवास आत्मज कल्याण जाति नाथ निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामेश्वर आत्मज गोपाल जाति नाथ निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. शोजी आत्मज सुन्दरा जाति नाथ निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. ओम आत्मज रामप्रसाद जाति नाथ निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल आत्मज गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भैरूपुरा (गंभीरा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बजरंगा आत्मज गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भैरूपुरा (गंभीरा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रमेश आत्मज गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भैरूपुरा (गंभीरा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भैरूपुरा (गंभीरा) तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 1882 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 02 बीघा 04

बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1847/2542 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नम्बर 1881 रकबा 04 बीघा कुल 02 किता की रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वादीगण खातेदार हैं और वे काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण ने खसरा नम्बर 1847/2542 रकबा 01 बीघा को छोडते हुए सभी तीनों खसरा नम्बरान की भूमियों को मिलाकर एक चक बना रखा है । प्रतिवादीगण अनाधिकृत एवं अवैधानिक रूप से उक्त भूमि की दक्षिणी मेर पर होकर बीचों बीच खसरा नम्बर 1921, 1922, 1930 पर जाने के लिये पूर्व–पश्चिम नया रासता कायम करना चाहते हैं । इस स्थान पर कभी भी प्रतिवादीगण का उक्त खेतों पर जाने का या अन्य का आने–जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है । प्रतिवादी ताकत के बल पर जबरन वादीगण की भूमियो के बीचों बीच नया रास्ता कायम करने पर आमादा हैं । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण की कृषि भूमि पर जबरन रास्ता निकाल ले तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की किसी भी आराजी पर होकर जबरन रास्ता नहीं निकाले और वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में होकर जबरन रास्ता निकाल ले तो उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 28.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर स्थायी निषेधाज्ञा के बाद को डिक्री कर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के बिना उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना किया हुआ था । पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 20.07.2018 नियत थी । लोक अदालत कैम्प होने से अपीलान्ट तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ उक्त निर्णय की पालना में मौके पर आकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हक में निर्णय होने का कह कर जबरन कृषि आराजी से बेदखल करना चाहा तब 09.07.2018 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । एक माह में भी नकल नहीं बनने पर पुनः अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी चाही जिस पर दिनांक 07.08.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम भी पेश किया । अपीलान्ट को बिना सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया और पक्षकारों की सहमति के बिना लोक अदालत में बिना विधिक प्रावधानों के निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं । सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अपील में गुणावगुण के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय में क्या कमी है । लोक अदालत में पक्षकार उपस्थित रहे हैं और वादी के खाते की आराजी पर पत्थरगढी के आदेश दिये गये हैं । प्रतिवादी अपीलान्ट के खिलाफ कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2018 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत में रखी गई थी । लोक अदालत में वादीगण में से रामफूल एवं बजरंगा उपस्थित हुए हैं वादी संख्या 03 उपस्थित नहीं हुए हैं और प्रतिवादीगण में से भी प्रतिवादी कम 1 से 4 उपस्थित हुए हैं । प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । आदेशिका दिनांक 18.05.2018 के अनुसार दिनांक 20.07.2018 की तारीख नियत की गई थी और उससे पूर्व ही दिनांक 28.06.2018 को लोक अदालत में दावा वादी डिक्री किया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता

है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा